

पत्र संख्या-7/नीति/क्रीमी लेयर-07/02का0 2818 / (72)

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

श्री मुख्त्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड

रांची, दिनांक 28 मई, 2004.

विषय:- पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-7/नीति क्रीमी लेयर-07/2002 का0-3482/ दिनांक 10.6.02 के कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के ज्ञापन सं0-36033/3/2004 दिनांक 15.3.04 स्थापना/आरक्षण/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/कार्मिक और प्रशिक्षण/विभाग के द्वारा क्रीमी लेयर की पहचान सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड को अंगीकृत करते हुए उसकी पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है ।

भारत सरकार के पत्र की कंडिका-2 में निर्धारित तिथि से यह झारखंड राज्य में भी प्रभावी समझा जायेगा ।

विश्वासभाजन,

श्री मुख्त्यार सिंह

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापक-7/नीति/क्रीमी लेयर-07/02का0 2818 /रांची, दिनांक 28 मई, 04.

प्रतिलिपि:- सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को भारत सरकार के ज्ञापन सं0-36033/3/2004 दिनांक 15.3.04 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित

नरेश/

श्री मुख्त्यार सिंह

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।